2016/00125

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 59/2016 (रसद अपील)

मैसर्स मित्तल पैट्रोलियम (एच पी सी एल) पैट्रोल पम्प कालवाड रोड स्टोन नं॰ 22, खसरा नम्बर 555/2, कालवाड, जयपुर प्रापराईटर श्रीमती पुष्पा मित्तल पत्नी स्व॰ श्री राकेश मित्तल

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 05.05.2016/25.05.2016 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जिसके द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति की प्रतिभूति राशि 5000/– रूपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री के॰डी॰ शर्मा एवं सी॰ एस॰ मिश्रा अधिवक्ता अपीलार्था की ओर से ।
2. .पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 11-11-2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद धिकारी ने दिनांक 9.09.2015 को कारण बताओं नोटिस के साथ दिनांक 29.09.2010 की प्रवर्तन अधिकारी की पैट्रोल पम्प निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई, जिसके आधार पर कार्यवाही संस्थित की गई। जिससे अपीलार्थी अपने मामले में प्रतिरक्षा भली प्रकार से नहीं कर सका। अपीलार्थी द्वारा स्टॉक रजिस्टर नियमित रूप से संधारित किया जाता है तथा तेल कम्पनी द्वारा निर्देशित स्टॉक रजिस्टर भी संधारित किया जाता है। जो निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ताओं द्वारा अवलोकन किया गया और कोई कमी नहीं पाई गई इसके बावजूद अपीलार्थी की प्रतिभूति राशि 5000/–रूपये जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर कह अपील पेश की गई है, जिसे स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

कलक्टर
जयपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि जिला रसद अधिकारी ने जो कारण बताओ नोटिस जारी किया और उसमे जो अनियमितता बताई है वह पूर्ण रूप से अस्पष्ट है। ल्यूब का स्टॉक रजिस्टर रखने का कोई प्रावधान अनुज्ञापन आदेश 1990 में नहीं है तथा अपीलार्थी द्वारा मासिक विवरणियां प्रतिमाह प्रस्तुत की जाती है। इसके बावजूद रिटर्न

प्राप्ति का रजिस्टर व संबंधित लिपिक से जांच किये बिना जो अनियमितता बताई है, वह पूर्ण रूप से गलत है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय 1979 आर सी सी पेज 370 स्पष्ट है। जिसमें अभिनिर्धारित किया है कि बिना लिपिक से जांच किए आरोप निराधार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर जब्त की गई प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के अदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से सुयोग्य पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्तो की अनियमितता करने का दोषी पाये जाने के कारण अनुज्ञप्तिधारक की समस्त धरोहर राशि 5000/– रूपये जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया है ।जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत व उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एव उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी ने प्रारूप ड में रजिस्टर संधारण के बारे में बताया है कि प्रारूप ड जो दर्शा रखा है उसके अनुसार ही एक प्रति मासिक रिर्टन प्रति माह कार्यालय में जमा कराई जाती है। जिला रसद अधिकारी द्वारा 19.09.2014 को निरीक्षण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.10.2014 को जिला रसद अधिकारी कार्यालय मे पेश की गई मासिक रिटर्न की फोटो प्रति पेश की है । अपीलार्थी की ओर से जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये है वह इस प्रकरण पर चस्पा होते है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना वाजिब समझते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 व 25.05.2016 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जा कर ने सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

9. जिला निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 11-11-2019 को सरे इजलास सुना गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर